न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 03/19 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2019/00016

उनवान

1. लौहरी पत्नी बिहारी जाति कोली निवासी करनपुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. सियाराम पुत्र मूलचन्द जाति कोली निवासी करनपुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
2. नेतराम } पुत्र धर्म सिंह } जाति जाटव निवासी नगलातुला तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
3. मुकेश }
4. तारावती पुत्री धर्म सिंह }
5. राजस्थान सरकार तामील जरिये श्रीमान् तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।

..... रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी रूपवास दिनांक 21.01.2019 उनवानी लौहरी बनाम सियाराम मु0न0 186/17

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री पंकज कुमार उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री गंगाराम शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 06.11.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 21.01.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 37, 38 वाके ग्राम करनपुरा तहसील रूपवास में स्थित है। वादी अपीलाण्ट उक्त आराजी में 1/4 भाग की खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार विवादित आराजी पर काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु अब शामलात में काश्त करना मुमकिन नहीं रहा है एवं आये दिन झगडा फसाद हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

बाउण्ड विभाजन करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई दिनांक 30.06.2018 को प्राथमिक डिक्री करते हुये, तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलव किये गये एवं प्राप्त विभाजन प्रस्तावो के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2019 से अंतिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है। यह है कि प्रकरण में दो कुर्रे प्रस्ताव बनाये गये थे। दिनांक 07.09.2018 को बने कुर्रे में उभयपक्ष को सडक किनारे आराजी दी गयी थी। जिस पर उभयपक्ष की सहमति के हस्ताक्षर अंकित हैं। परन्तु दिनांक 20.12.2018 को जो कुर्रे बनाये गये हैं उनमें अपीलाण्ट को सडक किनारे की आराजी ना देते हुये, रैस्पो0 को सम्पूर्ण खसरा नम्बर 54 दे दिया गया है। कुर्रे प्रस्ताव भी स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये जाकर, पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं। जबकि विभाजन के नियम 18 से 21 अनुसार विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार को बनाया जाना आज्ञापक है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नहीं हुयी है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट दिनांक 07.09.2018 के जो कुर्रे प्रस्ताव बनना कथन करते हैं। वह निराधार हैं एवं प्रमाणित प्रति भी नहीं हैं एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुये हैं। यह है कि यदि अपीलाण्ट को कुर्रे प्रस्तावो पर कोई उज्र था तो उन्होनें अधीनस्थ न्यायालय में क्यों नहीं किया एवं ना ही प्राथमिक डिक्री की ही अपील प्रस्तुत की गयी है। जबकि प्राथमिक डिक्री सहमति से जारी हुयी है। विभाजन प्रस्ताव पक्षकारो की उपस्थिति में बनाये गये हैं। परन्तु अपीलाण्ट ने उन पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। विभाजन प्रस्तावो पर तहसीलदार के हस्ताक्षर अंकित है। इस प्रकार अपीलाण्ट की सभी आपत्तियॉ सारहीन हैं। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 2020 पेज 187, सीसीसी 2023 पेज 426, डीएनजे 2017 पेज 852, आरआरडी 2019 पेज 592, आरआरटी 2016–17 पेज 714, डीएनजे 2012 पेज 89, आरआरटी 2019(2) पेज 835, आरबीजे 2020 पेज 749, आरआरटी 2017(1) पेज 105, 2022–23 पेज 416, एआईआर 2015 पेज 1271, आरबीजे 2018 पेज 633, आरआरटी 2018(2) पेज 1334, आरबीजे 2018 पेज 627, आरआरटी 2019(1) पेज 558, सीसीसी 2023(3) पेज 123, आरआरटी 2013(1) पेज 58, सैक्शन 58 एवीडेन्स एक्ट का उद्धरण पेश किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट की हस्तगत अपील में आपत्ति का सार यह है कि रैस्पो0 को जो खसरा नम्बर 54 दिया गया है, उसके बीच में से सडक निकल रही है। अतः वह अन्य खसरा नम्बरो से अधिक कीमती जमीन है। हमने विभाजन प्रस्तावो का अवलोकन किया। विभाजन प्रस्तावो पर अंकित नजरी नक्शा से स्पष्ट है

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

कि रैस्पो0 को खसरा नम्बर 54 दिया गया है एवं उक्त खसरा नम्बर के बीच में से होकर सडक निकलना प्रदर्शित है। जिससे साबित होता है कि विभाजन प्रस्ताव अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी के तैयार नहीं किये गये हैं। इसके अलावा अपीलाण्ट ने उक्त विभाजन प्रस्तावो पर हस्ताक्षर करने से भी मना किया। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने की दिनांक को ही प्रकरण में अन्तिम बहस सुनी जाकर, बिना पक्षकारो की सहमति एवं विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जाकर, अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वह प्राप्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्ष को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते। इसके अलावा विभाजन प्रस्तावो में पटवारी हल्का द्वारा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी रूपवास एवं श्रीमान् तहसीलदार रूपवास के आदेशानुसार तैयार किया जाना अंकित किया है। जिससे स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किये जाकर, पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा तैयार किये गये हैं एवं उन पर तहसीलदार के प्रतिहस्ताक्षर हैं। जबकि नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार को मौके पर जाकर तैयार किये जाने का प्रावधान है। अतः हस्तगत प्रकरण में विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना भी दृष्टिगोचर नहीं होती है। लिहाजा उपरोक्त विवेचनानुसार हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिवत सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 21.01.2019 अपास्त किये जाकर, प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में विभाजन के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुये, पक्षकारो के मध्य अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी के विभाजन प्रस्ताव पक्षकारो की उपस्थिति में स्वयं तहसीलदार तैयार करें एवं प्राप्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्ष को सुनवाई/आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये, पुनः विधिवत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.11.2023 को वास्ते सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 06.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर